



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर अमर जवान ज्योति स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे।

## ‘मैं राजस्थान के वीर शहीदों की वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूँ’

कारगिल विजय दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया

जयपुर, 26 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर आयोजित कारगिल विजय दिवस के रजत जयन्ती समारोह में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जाबाज सैनिकों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम परिस्थितियों में सीमा पर मुस्लीमों के साथ मोर्चा सम्भालने वाले हमारे शूरवीरों की बहादुरी और अदम्य साहस अतुलनीय है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले

मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सबरिया मेजर जनरल आर एस गोदारा सहित भारतीय सेना के उच्चाधिकारी, सैनिक, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

एसे वीरों को मैं नमन करता हूँ। शर्मा ने कहा कि कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले राजस्थान के वीर शहीदों की वीरांगनाओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए समर्पण की भावना

दिखाते हुए सर्वोच्च त्याग की मिसाल पेश की।

समारोह में मुख्यमंत्री ने शहीदों की वीरांगनाओं का शाल ओढ़ाकर एवं श्रीफल देकर सम्मान किया। इस अवसर

पर कारगिल युद्ध में साहस का परिचय देने वाले वीर सैनिकों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सबरिया मेजर जनरल आर एस गोदारा सहित भारतीय सेना के उच्चाधिकारी, सैनिक, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

### गलता पीठ प्रकरण में यथास्थिति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एकलपीठ ने संपत्ति के खुर्द-बुर्द होने के आरोप की सुनवाई करते हुए मठ के महंत की नियुक्ति करने की व्यवस्था पर ही फैसला दे दिया है, जबकि एकलपीठ ने अपने फैसले में भी माना है कि रामोदराचार्य की मृत्यु के बाद उनका महंत पद समाप्त हो गया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक मई 1943 को जयपुर स्टेट के हाईकोर्ट ने इन संपत्तियों को मूर्ति के स्वामित्व में नहीं मानकर महंत के स्वामित्व में माना था।

इसका विरोध करते हुए हिंदू विकास समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर ने कहा कि जयपुर स्टेट के तत्कालीन हाईकोर्ट ने इन संपत्तियों को गलत पीठ का माना था। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी के पिता को मेरिट के आधार पर तत्कालीन जयपुर स्टेट ने नियुक्त किया था और अपीलार्थी को महंत के रूप में नियुक्ति कभी हुई ही नहीं थी। माथुर ने अदालत को कहा कि अपीलार्थी ने उत्तराधिकार

के आधार पर स्वयं को महंत घोषित कर दिया, इसके अलावा अपीलार्थी ने गलत पीठ को कई संपत्तियों को खुर्द-बुर्द भी किया है। करीब दो घंटे से ज्यादा सुनवाई होने के बाद करीब 4.30 बजे अदालत के उठने का समय आ गया था, तब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्हें सूचना मिली है कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर अवधेशाचार्य के घर का ताला तोड़ रहे हैं और मठ के आसपास की दुकानों पर भी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत को इस अपील की पूर्ण सुनवाई करनी होगी तथा तब तक यथा स्थिति बनाई रखी जाये। जिस पर अदालत ने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये और मामले में सकार की तरफ से इतनी त्वरित कार्यवाही करने पर भी नाराजगी जताई। स्वामी अवधेशाचार्य के वकीलों ने बताया कि अदालत का फैसला आने तक स्वामी अवधेशाचार्य व उनका परिवार ही पीठ में पूजा अर्चना जारी रखेगा।

### कर्नाटक में जोर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) संकल्प तमिलनाडु विधानसभा ने पारित किया था वैसे संकल्प कर्नाटक राज्य ने तैयार करके रखा है और इस पर मंत्रिमण्डल को मुहर लग चुकी है। एक बार जब कर्नाटक विधानसभा इस विधेयक को पारित कर देगी उसके बाद इसे राज्यपाल के माध्यम से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। चूंकि नीटो मुद्दों में से थोड़ा हल्का था इसलिए बंगलुरु पुलिस ने कई करोड़ रूपयों के वाल्मीकि फंड ट्रांसफर केस की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की है।

यह एफ.आई.आर. समाज कल्याण विभाग अतिरिक्त निदेशक कालेश बी.के. द्वारा औपचारिक रूप से यह शिकायत करने के बाद दाखिल की गई थी कि जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री व अन्य लोगों को इस कांड में फंशाने के लिए उन पर दबाव डाला था।

## शांति धारीवाल ने विधानसभा में अपशब्द कहे

सभापति संदीप शर्मा के टोकने पर धारीवाल बोले "कोटा में रहना है कि नहीं"

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 26 जुलाई। राजस्थान विधानसभा में नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर बहस करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल ने अपशब्द बोले। यह मामला देर रात तक सदन में गर्मागर्मा खूद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि "यह तंकीय और शर्मनाक बात है कि पूर्व मंत्री के मुंह से मां-बहन की गाली जैसे शब्द निकले। मैं इस पर पूरा वीडियो देखकर सोमवार को अपना निर्णय दूंगा।"

दरअसल धारीवाल ने चर्चा के दौरान, पहली बार कांग्रेस राज के दौरान गडबड़ियों पर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बार उन्होंने फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में तथा तीसरी बार सभापति

पूर्व मंत्री श्रीचंद कूपलानी ने जब धारीवाल के शब्दों पर आपत्ति जताई तो धारीवाल ने कहा, "कूपलानी जी! आप तो मेरे मित्र हो, एक बार गलती से मंत्री बन गए थे, आप जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे। अब मैं जो बोल रहा हूँ, अपना ज्ञान बढ़ाओ।"

स्पीकर देवनानी ने सारे प्रकरण पर कहा कि, "पूर्व मंत्री के मुंह से गाली जैसे शब्द निकलना निंदनीय है। मैं पूरा वीडियो देखकर सोमवार को निर्णय दूंगा।"

संदीप शर्मा के टोकने पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया।

जब सभापति संदीप शर्मा ने शांति धारीवाल को अपनी बात खत्म करने को कहा तो धारीवाल ने अन्य लोगों के साथ सभापति को यहां तक कह दिया, "तुम तो कोटा के हो, कोटा में रहना है कि नहीं

रहना है।" दरअसल संदीप शर्मा कोटा दक्षिण से विधायक हैं और धारीवाल कोटा उत्तर से विधायक हैं।

जब भाजपा विधायक श्रीचंद कूपलानी ने धारीवाल के अपशब्द पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा, "कूपलानी जी! आप तो मेरे मित्र हो, एक बार गलती से मंत्री बन गए थे, आप जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे। अब मैं जो बोल रहा हूँ, अपना ज्ञान बढ़ाओ।"

बार गलती से मंत्री बन गए थे, आप जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे। अब मैं जो बोल रहा हूँ, अपना ज्ञान बढ़ाओ।" इससे पहले जब मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पिछली कांग्रेस सरकार पर फर्जी पट्टे देने का आरोप लगाया तो धारीवाल ने कहा, "नगर निकायों में इस तरह का स्टाफ बैठा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से पट्टे बांटना बंद थोड़े ही कर देंगे। शिकायत आती है तो जांच होती है, जांच कराते हैं। आप भी जांच करवाइए, सर्वेड कीजिए, बर्खास्त कीजिए। धारीवाल ने दावा कि पिछली सरकार में उन्होंने 13 लाख पट्टे बांटे, लेकिन सिर्फ 254 पट्टों में ही गडबड़ियां मिली हैं।"

इससे पहले धारीवाल ने नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खरार पर

टिप्पणी करते हुए कहा, "पिछले 7 माह से नगरीय निकायों में काम बंद पड़ा है। आपके कार्यों पर क्या कमियां निकालूं, पिछले 7 माह में कुछ किया ही नहीं। उन्होंने यह चुटकी इसलिए ली, क्योंकि मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में कहा था कि, पिछली कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकायों में कई गडबड़ियां की थीं, लेकिन इस सरकार पर कोई एक पैसा का भी आरोप नहीं लगा सकता। गर्ग की इस बात पर चुटकी लेते हुए धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के 7 माह बाद भी नगरीय विकास विभाग में काम ठप्प पड़ा है, मंत्रीजी सभी निकायों व विकास प्राधिकरणों की शक्तियां छीनकर खुद के नियंत्रण में लेने में लगे हुए हैं।" कब्जे में करने में लगे हैं।

### सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. सरकार ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उस पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि "हमने हमारे 22 जुलाई के आदेश में वही कहा है, जिस बात को कहने की आवश्यकता थी। किसी को भी नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।"

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पैरवी की ओर सरकार के निर्देशों का यह कहते हुए बचाव किया कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले ढाबा मालिकों के द्वारा उनके नाम बाहर प्रदर्शित करने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसके पीछे पारदर्शिता लाने का उद्देश्य है ताकि "सम्भावित भ्रम की स्थिति" को टाला जा सके और शान्तिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित की जा सके। रोहतगी ने इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार अथवा मंगलवार को करने का अनुरोध यह कहते हुए किया कि "मैं (उत्तर प्रदेश सरकार) एकतरफा अन्तरिम स्टे आदेश से पीड़ित हूँ और यदि मामले में देरी की गई तो यह मामला निरर्थक हो जाएगा।"

उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि राज्य सरकार तो सामान्य रूप से उस कानून को लागू कर रही थी जो कानून संसद ने बनाया था तथा जिसके तहत जरूरी है कि दुकानदार अपना नाम दुकान के बोर्ड पर लिखे और याचिकाकर्ता ने पहले से बने हुए इस कानून के बारे में कोर्ट को सूचित नहीं किया। इस तर्क पर बेंच ने कहा कि "ऐसा है तो फिर इसे सब जगह पर लागू किया जाना चाहिए, न कि कुछ राज्यों में ही। यह बताते हुए जबाबी हलफनामा दाखिल करें कि इसे सब जगह पर लागू किया जाएगा।" इसके बाद, बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दी ताकि उत्तराखण्ड व मध्य प्रदेश सरकार भी उनका जवाब दाखिल कर सकें। कोर्ट ने भक्तों/कांवड़ यात्रियों की ओर दाखिल की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके निर्देशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (पी.आई.एल.) के जवाब में दाखिल शपथपत्र में कहा कि "इस बात पर गौर किया जाए कि इन निर्देशों को जारी करने का विचार यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी उपभोक्ता अर्थात् कांवड़ियां जो भी खाना खाना चाहता है, उसे उस खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे, यह निर्णय यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि वे गलती से भी अपने विश्वासों से गलत न हो जाए।" एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टी.एम.सी. सांसद महेश मोडगा, प्रोफ. अर्जुनानन्द झा एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों की वैधता को चुनौती दी थी, याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंचवी ने रोहतगी के तर्कों का विरोध किया।

सिंचवी ने अपने तर्कों में बेंच से कहा कि अस्थायी प्रकृति के निर्देशों में यह सुनिश्चित किया गया है कि इनसे भोजन विक्रेताओं के प्रति किसी प्रकार का स्थायी भेदभाव नहीं होगा और न ही इससे उनके लिए कोई मुश्किल स्थिति उत्पन्न होगी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैन रोड आर्यद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय - जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय: - जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**  
भारत सरकार

“ मौसम के जोखिमों से हमारे मेहनती किसान भाई-बहनों के हितों को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। ”

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

## फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ

**8 वर्षों की मुख्य उपलब्धियां**

62 करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्राप्त | 19.67 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा का वितरण | ₹1.60 लाख करोड़ से अधिक का बीमा दावा मुगुलत

देशव्यापी हेल्पलाइन 14447 | पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024

अपनी फसल नाफेड को सीधे बेचने हेतु पोर्टल पर पंजीकरण के लिए QR कोड स्कैन करें

अपनी फसलों को आज ही बीमित करने के लिए संपर्क करें

जनसेवा केंद्र | क्राप इश्योरेस ऐप <https://play.google.com> | पोस्ट ऑफिस | बैंक शाखा | @PMFBY

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें